

प्रेषक,

अनूप चन्द्र पाण्डेय,  
अपर मुख्य सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।  
2-समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,  
उत्तर प्रदेश।

वित्त (लेखा) अनुभाग-1

लखनऊ, दिनांक : 12 अप्रैल, 2017

विषय :- प्रदेश के समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों का डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (डी.एस.सी.) बनवाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश में ऑन लाइन पेंशन स्वीकृति की सुविधा प्रारम्भ हो चुकी है, जिसके लिये प्रदेश के समस्त आहरण-वितरण अधिकारी को डिजिटल सिग्नेचर का प्रयोग करना होता है। शासन के संज्ञान में आया है कि आहरण-वितरण अधिकारियों द्वारा तभी डिजिटल सिग्नेचर बनवाना प्रारम्भ किया जाता है, जब उनके कार्यालय का कोई अधिकारी/कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहा होता है, जिसके कारण डिजिटल सिग्नेचर बनवाने में समय लगने के कारण पेंशन देयकों की स्वीकृति में विलम्ब होता है। इसके अतिरिक्त शासकीय कार्यों में कम्प्यूटर के अधिकाधिक प्रयोग किये जाने एवं अन्य कई प्रस्तावित योजनाओं में अधिकारियों के डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

2- उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि प्रथम चरण में प्रदेश के समस्त विभागों के आहरण-वितरण अधिकारियों द्वारा डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट बनवाये जाने की कार्यवाही की जाये। अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अपने विभाग के समस्त आहरण-वितरण अधिकारियों का डिजिटल सिग्नेचर बनवाने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।  
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

करें। इस पर आने वाला व्यय भार सम्बन्धित विभाग द्वारा अपने विभागीय बजट की सुसंगत मानक मदों में उपलब्ध धनराशि से वहन किया जायेगा।

भवदीय,  
अनूप चन्द्र पाण्डेय  
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-7/2017/ए-1-144(1)/दस-2017-10(11)/2017, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, 30प्र0।
- (2) प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (3) निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश जवाहर भवन, लखनऊ।
- (4) समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- (5) समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,  
राजीव श्रीवास्तव,  
विशेष सचिव।